24 योजनान्तर्गत किये गये समस्त कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) कराया जाना अनिवार्य होगा।

25 समस्त प्रगत अनुसूचित विद्यालयों की कार्यकारिणी हो इस प्रतिबन्ध के साथ कि कार्य का आवंटन तथा भुगतानित प्रमाण-पत्र किसी सक्षम स्तर के अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो, से इस प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

26 कार्य कराने से पूर्व वित्तीय नियमावली के नियमों एवं उत्तरप्रदेश अधिशासी/प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2008 एवं 2017 तथा अन्य तत्सम्बन्धित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

27 शासन द्वारा से समय-समय पर दिये गये निर्देशों के क्रम में जीएसटी/टीडीएस कर की कटौती नियमानुसार सुनिश्चित की जायें।

28 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्थाओं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार से बड़ी मात्रा में वित्तपोषित है कि लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है यथा सम्भव अपने स्तर से ही सूचना उपलब्ध करा सकें।

29 कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व की मय एवं योजना पूर्ण होने पर तीनों स्तरों की फोटोग्राफस लिया जाय।

30 कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माणाधीन योजना वन भूमि न हो एवं स्वामित्व विवाद न हो।

31 यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि संस्तुति योजना जल जीवन मिशन या अन्य विभाग द्वारा निर्मित न की जा रही हो।

32 विधायक निधि अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में किसी भी प्रकार का क्रय हेतु अधिशासित नियमावली 2017 का पूर्ण पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा तथा योजना लाईट क्रय में पुष्पमाला/रंग-रोगन इत्यादि उपरोक्त विभागानुसार किया जाएगा। उक्त योजनाओं में शासन द्वारा (CAG/AG) Audit कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

संलग्न- योजना का विवरण।

कार्यदायी संस्था खण्ड विकास अधिकारी मंगोलीहाट को धनराशि अवमुक्त

| क्रमांक | प्रस्तावित कार्य का नाम | माननीय योजना | स्वीकृति वर्ष | स्वीकृत धनराशि लाख रू0 में | प्रशासनिक स्वीकृत धनराशि लाख रू0 में | एकमुश्त किस्त अवमुक्त लाख रू0 में |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ग्राम पंचायत पन्था में सार्वजनिक सिंचाई हेतु मोटर क्रय | सामान्य | 2024-25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 2 | ग्राम पंचायत पाडा में बोरवेल में महोत्सव आयोजन | सामान्य | 2024-25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | ग्राम पंचायत नाचकोटली में महिला मंगल दल हेतु साज-सज्जा सामग्री | सामान्य | 2024-25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4 | राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय उकियारी में प्रोजेक्टर। | सामान्य | 2024-25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चानाखोड में कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं प्रोजेक्टर | अ0जा0 | 2024-25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 6 | राजकीय इण्टर कॉलेज पिथौली में कुर्सी टेबल। | अ0जा0 | 2024-25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 7 | राजकीय इण्टर कॉलेज पुरान थल में कुर्सी टेबल। | सामान्य | 2024-25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 8 | राजकीय इण्टर कॉलेज थल में कुर्सी टेबल। | सामान्य | 2024-25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 9 | राजकीय इण्टर कॉलेज लामगड़ी में कम्प्यूटर, प्रिन्टर। | सामान्य | 2024-25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 10 | बालक जनता स्कूल गणाई में कम्प्यूटर, प्रिन्टर। | सामान्य | 2024-25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 11 | राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनकोट में कम्प्यूटर, प्रिन्टर और वाउंड वर्क। | सामान्य | 2024-25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 12 | राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुवलखेत में कुर्सी टेबल। | सामान्य | 2024-25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 13 | राजकीय इण्टर कालेज सेराघाट में कुर्सी टेबल। | सामान्य | 2024-25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| | योग | | | 26.75 | 26.75 | 26.75 |

टिप्पणी :- उक्त योजनाओं में से नगर क्षेत्र की योजनाओं की धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है (आदर्श आचार संहिता के कारणवश)। यदि त्रुटिवश आपको नगर क्षेत्र की योजना हेतु प्रथम/एकमुश्त किस्त की धनराशि प्राप्त होती है तो आप तब तक कार्य प्रारम्भ नहीं करेंगे जब तक आदर्श आचार संहिता समाप्त न हो जाए।

ह0/-
मुख्य विकास अधिकारी
पिथौरागढ़।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़

पत्रांक 2500 /33-विधायक निधि/2024-25. दिनांक 20/1/25

प्रतिलिपि-

1 खण्ड विकास अधिकारी मंगोलीहाट को संलग्न कार्य के क्रियान्वयन हेतु कोषागार से वर्तमान में उक्त चैक/बिल से प्रेषित धनराशि आपके खाते में हस्तान्तरित की जा रही है। कृपया धनराशि प्राप्ति का खाते से मिलान करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 26,75,000/- (छब्बीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) से संलग्न कार्यों का निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाना है कि उक्त धनराशि का व्यय विधायक निधि के मानकों एवं उक्त प्रतिबन्धों के अनुसार किया जा सकता है। धनराशि की प्राप्ति रसीद अद्योहस्ताक्षरी को प्रेषित करें। योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 20 ता0 तक अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना होगा एवं उपभोग के उपरान्त प्रमाण-पत्र मय फोटोग्राफस अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना होगा।

2 मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

3 श्री फकीर राम टम्टा जी, मा0 विधायक, वि0स0 क्षेत्र मंगोलीहाट के अवलोकनार्थ।

जिला विकास अधिकारी
पिथौरागढ़।

Letter of Fund Release.docx

Scanned with CamScanner